प्रेषक,

निदेशक
पशुपालन विभाग(उत्तराखण्ड),
देहरादून।

सेवा में,

मुख्य पशु चिकित्साधिकारी,
चम्पावत/देहरादून।

संख्या–3043 /नि.–5/एक(16/भ.नि.रा.सै./2026–27 दिनांक– 03 सितम्बर, 2026

विषय– राज्य सैक्टर योजनान्तर्गत विभिन्न निर्माण कार्य योजना में धनराशि अवमुक्त करने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–1861/XV–1/2026/7(02)2026/e–79944, दिनांक 02 सितम्बर, 2026 के द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2026–27 में पशुपालन विभाग में राज्य सैक्टर योजनान्तर्गत विभिन्न निर्माण कार्य योजना के अन्तर्गत प्रावधानित धनराशि रू. 1000.00 लाख के सापेक्ष निम्न संस्थाओं के भवन निर्माण हेतु द्वितीय किस्त के रूप में रू. 120.116 लाख की धनराशि इस कार्यालय को अवमुक्त की गयी है। उक्त आवंटित धनराशि को निम्न संस्थाओं के भवन निर्माण हेतु निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के साथ ही उक्त संस्थाओं को पूर्व में किये गये बजट आवंटन में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों का अक्षरशः अनुपालन कर उपयोग करने हेतु आपके निवर्तन में प्रदिष्ट किया जाता है:–

(धनराशि लाख ₹ में)

क्र. सं.	विवरण	कुल लागत	पूर्व आवंटन	वर्तमान आवंटन	आ.वि.अ.वार कुल आवंटन
1	पशु चिकित्सालय खेतीखान का निर्माण	153.32	91.992	61.328	61.328
2	पशु सेवा केन्द्र, मालदेवता का निर्माण	71.42	42.852	28.568	58.788
3	पशु सेवा केन्द्र, भानियावाला का निर्माण	75.55	45.330	30.220	
	योग–	**300.29**	**180.174**	**120.116**	**120.116**

1. योजनान्तर्गत स्वीकृत कार्यों हेतु संबंधित कार्यदायी संस्था को उनके साथ हुए अनुबन्ध/एम.ओ.यू. में निहित शर्तों के अनुसार कार्य की भौतिक प्रगति के आधार पर भुगतान किया जायेगा। कार्य क़ो एम.ओ.यू. में निर्धारित समयान्तर्गत पूर्ण किया जायेगा। किसी भी स्थिति में कार्य की लागत को पुनरीक्षित नहीं किया जायेगा।
2. उक्त अवमुक्त/स्वीकृत धनराशि के व्यय हेतु शासनादेश संख्या–400 XXVII (1)/2015, दिनांक 01 अप्रैल, 2015 द्वारा निर्धारित शर्तों एवं प्रतिबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।
3. आंगणन गठित करते समय तथा कार्य प्रारंभ करने से पूर्व उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली (यथासंशोधित),2025 में निर्धारित प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाना आवश्यक होगा।
4. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–2047/XIV.219 (2006)/दिनांक 30 मई, 2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
5. स्वीकृत निर्माण कार्य को किसी भी दशा में शासन की पूर्वानुमति के बिना अपूर्ण अवस्था में समाप्त नहीं किया जायेगा।
6. कार्य हेतु अनुमोदित आंगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत /अनुमोदित दरों के सापेक्ष जो दरें शिड्यूल ऑफ रेट में स्वीकृत नहीं है अथवा बाजार भाव से ली गयी हो, की स्वीकृति पर नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।
7. स्वीकृत धनराशि का उपयोग करने के उपरान्त उपयोगिता प्रमाण–पत्र निर्धारित प्रारूप में शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
8. कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितनी धनराशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत मदवार धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।
9. उक्तानुसार स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष निर्माण कार्य, लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए सम्पादित करना सुनिश्चित किया जाय।

10. निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला में अवश्य करा लिया जाय तथा उपयुक्त सामग्री ही प्रयोग में लायी जाय तथा आगणन में प्राविधानित डिजाइन एवं मात्राओं हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता एवं अधीक्षण अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।
11. कार्य की प्रगति निरन्तर व गहन समीक्षा करते हुए कार्य को निर्धारित समय सारिणी के अनुसार समयबद्ध रूप से पूर्ण किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। उक्त कार्य के संबंध में वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–475/XXVII(7)/2008 से दिनांक 15.12.2008 के अनुसार निर्धारित प्रपत्र पर कार्यदायी संस्था से एम०ओ०यू० अवश्य हस्ताक्षरित किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
12. अवमुक्त/स्वीकृत धनराशि के संबंध में किसी भी प्रकार की वित्तीय अनियमितता/दुरुपयोग/दोहरीकरण (Doubling) पाये जाने पर विभागाध्यक्ष, संबंधित आहरण वितरण अधिकारी तथा कार्यदायी संस्था पूर्णतः उत्तरदायी होंगे।
13. प्रश्नगत् धनराशि का व्यय वित्त विभाग के समस्त सुसंगत नियमों/प्रक्रियाओं का अनुपालन करते हुये किया जायेगा तथा कार्य को निर्धारित समयान्तर्गत पूर्ण किया जायेगा, जिससे Time over run एवं Cost over run की स्थिति उत्पन्न न हो।
14. उक्त निर्माण कार्य के औचित्य के सम्बन्ध में स्वयं के स्तर पर सुनिश्चित होते हुए यदि कोई तकनीकी/ विधिक औपचारिकतायें है, तो उन्हें भी पूर्ण कर लिया जायेगा।
15. वित्त विभाग के समस्त सुसंगत वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं, एवं दिशा–निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए उक्त धनराशि का उपयोग किया जायेगा।
16. यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि सम्बन्धित मद के अन्तर्गत प्रस्तावित निर्माण कार्य हेतु धनराशि अवमुक्त किये जाने से कोई चालू कार्य प्रभावित न हो।
17. कार्य के औचित्य ध्आवश्यकता, भूमि की उपलब्धता के सम्बन्ध में स्वयं के स्तर पर सुनिश्चित होंगे।
18. कार्यदायी संस्था से एम0ओ0यू0 सम्पादित करते हुये कार्य को निर्धारित समयान्तर्गत पूर्ण किया जायेगा। किसी भी स्थिति में लागत को पुनरीक्षित नहीं किया जायेगा।
19. प्रश्नगत् धनराशि का व्यय वित्त विभाग के समस्त सुसंगत नियमों ६ प्रक्रियाओं का अनुपालन सुनिश्चित करते हुये किया जायेगा। किसी भी स्थिति में धनराशि को पार्क नहीं किया जायेगा। मितव्ययिता का विशेष रूप से ध्यान रखा जायेगा।

इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2026–27 में अनुदान संख्या–28 के अंतर्गत संलग्न एलाटमेंट आई.डी. में अंकित लेखाशीर्षक/मानक मद के अंतर्गत वहन किया जायेगा।

संलग्न–एलाटमेंट आई.डी.

भवदीय,

(विदुषी भट्ट जोशी)
वरिष्ठ वित्त अधिकारी
कृते–निदेशक।

संख्या– 3043/नि.–5/एक(16/भ.नि.रा.सै./2026–27 उक्त दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. मुख्य कोषाधिकारी, चम्पावत/देहरादून।
2. लेखा/पशुधन/संख्या शाखा, मुख्यालय।
3. उप निदेशक, MIS, मुख्यालय को विभागीय वैबसाइट में अपलोड करने हेतु।
4. संयुक्त निदेशक, भूमि भवन, मुख्यालय।
5. अपर निदेशक, पशुपालन विभाग, हल्द्वानी–नैनीताल/पौड़ी।
6. सचिव, उत्तराखण्ड शासन, पशुपालन अनुभाग–1, सचिवालय–देहरादून।
7. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
8. गार्ड फाईल।

Vidushi

(विदुषी भट्ट जोशी)
वरिष्ठ वित्त अधिकारी
कृते–निदेशक।